राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक : पं. 6 (18) राज.-6/99/41 जयपुर, दिनांक : 1.11.2000

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 90-ख, जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या-21) के द्वारा अन्त:स्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य की समस्त नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान (Extenstion) एवं भूमि पुर्नग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करती हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

सही/-

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव